

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI BHAGEY DHAN): (a) and (b) Launched in May, 1988, the National Literacy Mission seeks involvement of all sections of society, including students, in achievement of the objective of imparting functional literacy to 80.00 million illiterates in the age-group 15—35.

Under the Mass Programme of Functional Literacy (MPFL) students of universities and colleges are participating in imparting literacy on volunteer basis. The state governments of Orissa, Maharashtra, West Bengal and Rajasthan have taken decision to involve school students also in literacy programmes as part of their work experience. During the current financial year, over 10.00 lakh students from schools and colleges are expected to participate in the literacy efforts through MPFL. Besides taking part in literacy activities under MPFL, students are also being fully involved, along with others, in the area specific and time specific full literacy projects in the entire States of Kerala and Goa, Union Territory of Pondicherry, 100 talukas in Gujarat and 25 districts in other States/Union Territories.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

345. श्री ... :

श्री ... :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसकी साधरण सभा के सदस्यों की संख्या नियमानुसार निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन दो संगठनों के सभी विद्यमान सदस्यों का व्यौरा क्या है ; और

(घ) दोनों संगठनों में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री में राज्य मंत्री (श्री ...) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) संगठन और गवर्नर बोर्ड का संयोजन विवरण I और II में दिया गया है । (नीचे ...)

(घ) गवर्नर बोर्ड ने 22-8-1990 को हुई अपनी 54वीं बैठक में कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन और गवर्नर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का सैद्धांतिक निर्णय किया ।

विवरण- I

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का संयोजन

नियम सं.	नियमों की व्यवस्था	वर्तमान नियुक्ति/नामजदगी
1	2	3
3(क) (1)	शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रभारी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भाग्ये गोवर्धन

1	2	3
3(क) (2)	शिक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी	श्री एस गोपालन, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3(क) (3)	शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार	श्री जे. एम. नागेश्वर, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विभाग, मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3(क) (4)	मुख्य कल्याण अधिकारी कार्मिक विभाग	श्री बी० के० डे० मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक मूक्षार विभाग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली
3(क) (5)	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री एल के कक्काड़, निदेशक (टी एंड सी०), रक्षा मंत्रालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
3(क) (6)	शिक्षा निदेशक सेना, मुख्यालय	मेजर जनरल के एन सरदाना, वी एस एस सैन्य शिक्षा, निदेशक सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
3(क) (7)	शिक्षा निदेशक, नौसेना मुख्यालय	कमोडोर पी० के० रामास्वामी, नौसेना शिक्षा निदेशक, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
3(क) (8)	शिक्षा निदेशक वायु सेना मुख्यालय	ए-बी-एम रत्नम शिक्षा निदेशक, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
3(क) (9)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री बलवीर सिंह, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली ।
3(क) (10)	निर्माण एवं आवास मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री जी० एस० राव उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
3(क) (11)	अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	डा० एच० एस० सिंह, अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत बिहार नई दिल्ली ।

1	2	3
3(क) (12)	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	निदेशक, एन० सी० ई० आर टी० श्री अरविंदों मार्ग, नई दिल्ली
3(क) (13)	दो शिक्षा सचिव	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार ।
3(क) (14)		सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कर्नाटक सरकार ।
3(क) (15)	दो जन शिक्षा निदेशक	डा० एस० भारती, लोक शिक्षा निदेशक, असम सरकार ।
3(क) (16)		श्री एम एल चन्द्रकीर्ति, लोक शिक्षा आयुक्त, कर्नाटक सरकार ।
3(क) (17)	दो अन्य शिक्षाविद	प्रो० एच पी खरे पूर्व अधिष्ठाताविज्ञान संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
3(क) (18)		श्री एम एल बाब्वारी, प्रधानाचार्य, वायु सेना विद्यालय, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली ।
3(क) (19)	तीन संसद सदस्य (दो लोकसभा और एक राज्य सभा से)	श्री रामकृष्ण मोरे, संसद सदस्य, लोक सभा, नई दिल्ली ।
3(क) (20)		श्री के एन सिंह यादव संसद सदस्य, लोक सभा, नई दिल्ली ।
3(क) (21)		श्री एम० पलानियंदी, संसद सदस्य, राज्य सभा ।
3(क) (22)	संगठन आयुक्त	श्री डी एस मुखोपाध्याय, आई ए० एस आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।

1	2	3
3(क) (23)	संगठन का उपायुक्त (प्रशासन)	श्री पूरण चन्द, उपायुक्त (प्रशा.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
3(ख.)	भारत सरकार किसी भी समय किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को संगठन का सदस्य नियुक्त कर सकती हैं।	1. श्रीमती सत्या बहिन संसद सदस्या, राज्य सभा, नई दिल्ली। 2. श्री सीताराम राय, प्रधानाचार्य सरदार पटेल इंटर कालेज, ब्रह्मपुरी, मेरठ। 3. डा० आर सी शर्मा पूर्व आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली। 4. श्री एल ए व्यास, 33, नाशविला रोड़, देहरादून 5. श्री सिडनी रिबियरे, अधिष्ठाता, युवा सेवा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

विधरण-II

गवर्नर बोर्ड का संयोजन

नियम सं.	नियमों की व्यवस्था	वर्तमान नियुक्ति। नामजदगी
1	2	3
19(1)	संगठन का अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री केन्द्रीय विद्यालय स्कीम के प्रभारी	श्री भाग्ये गोबर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
19(2)	उपाध्यक्ष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी	श्री एस. गोपालन, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
19(3)	शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि	श्री एल. एस. नारायणन वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

1	2	3
19(4)	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि	श्री एल के कक्कड़, निदेशक (टी एंड सी) रक्षा मंत्रालय, माऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
19(5)	मुख्य कल्याण अधिकारी विभाग	श्री बी के डे, मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली ।
19(6)	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् अथवा उसका प्रतिनिधि	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली ।
19(7)	भारत सरकार द्वारा संगठन के सदस्य के रूप में शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में एक लोक शिक्षा निदेशक अथवा राज्य सरकार के शिक्षा निदेशक की नामजदगी ।	श्री एम एल चन्द्रकोटि, प्रदेश निदेशक लोक शिक्षा सरकार, बंगलोर ।
19(8)	भारत सरकार द्वारा संगठन के सदस्य के रूप में शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में नामजद राज्य सरकार का एक शिक्षा सेचव	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार, पटना ।
19(9)	संगठन का एक अथवा एक से अधिक सदस्य जो समय समय पर इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में नामजद किये/किए जा सकते हैं ।	(i) सिडनी रिबोरिओ उप अधिष्ठाता, प्रभारी संस्कृति युवा म मले, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । (ii) श्री सीताराम राय, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इंटर कालेज, ब्रह्मपुरी, मेरठ ।
19(10)	इस प्रयोजन के लिए शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले संसद सदस्यों में से एक जो संगठन का सदस्य है । -	श्री हे० एन० सिंह यादव, संसद सदस्य, लोक सभा, नई दिल्ली ।
19(11)	संगठन का आयुक्त	श्री डी० एम० मुखोपाध्याय, आई ए० एस० अयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय, संगठन, नई दिल्ली ।
19(12)	संगठन का उप-युक्त (प्रशासनिक) और पूर्व कार्यालय सचिव	श्री पूरण चन्द, उप-युक्त (प्रशासनिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली